

**राजस्थान तहसीलदार सहाय विद्या अजमेर (माला)**

प्रकरण संख्या ..... 46/2019

राजस्थान सरकार वरिए

बकान श्री

श्री. म/म/सिंह / अमर सिंह, मेराज

पटवारी हस्त

2910 प्रथम

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय


दिनांक 8-5-2019

पत्रावली में हुई अपार्षी उपस्थित होने पर पत्रावली का अन्वय किया। पटवारी हस्त 2910 प्रथम 2016 अं. 2910/1 की सरकारी भूमि अस्स नम्बर 5/04 कुल रकबा 31/7 किंज भूमि 10.3 में से रकबा 11/1 भूमि पर अपार्षी श्री म/म/सिंह पुत्र अमर सिंह जाते म/म/सिंह निवासी मेराज इलाहाबाद जिला अजमेर कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत सर्वेक्षण किया जाकर अपार्षी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 8-5-19 को बुकान म/म/सिंह पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अपार्षी में नोटिस के जवाब में अपने पत्र में कोई लेख दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अपार्षी के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अन्त में लाई जाती है। भूमि निदान बोध्य नहीं है।

होने पत्रावली का विवेकानुसृत अन्वय एवं न्यून किया। अपार्षी द्वारा अपने जवाब में कोई लेख सबूत एवं दस्तावेज प्रेष नहीं किए एवं अपार्षी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अधिकारन लेना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व देकाई अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है। अपार्षी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है। अतः

अपार्षी म/म/सिंह पुत्र अमर सिंह जाते मेराज निवासी मेराज की सरकारी भूमि अं. 2910/1 के अस्स नम्बर 5/04 कुल रकबा 31/7 किंज भूमि 10.3 में से रकबा 11/1 भूमि पर किए गए नजाराज एवं अधिक दम्ब के रूप में वर्णित लगान 0.25 का पचास गुना 15/- रुपये बतौर शक्ति आरोपित की जावे व नौके पर लड़ी फसल/अन्य को जवाब सरकार कर निदान किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षण/पटवारी हस्त को व डिमांड कायमी हेतु तद्विहित चक्क लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल सुमारं होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 8-5-19 को मेरे द्वारा लिखकया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शक्ति मिसल किया गया।

  
**महेश्वर मिश्रा**  
 तहसीलदार अजमेर

